रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1761] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 23, 2017/आषाढ़ 2, 1939
No. 1761] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 23, 2017/ASHADHA 2, 1939

आयुष मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2017

का.आ. 1980(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार का आयुष मंत्रालय (जिसे आगे मंत्रालय कहा जाएगा) आयुष में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का कार्यान्वयन केंद्रीय सेक्टर स्कीम के रूप में कर रहा है;

और इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य आयुष अर्थात् आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, जिसे व्यापक रूप में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के रूप में जाना जाता है, को बढ़ावा देना और उसके बारे में जागरूकता और रूचि पैदा करना है;

और इस स्कीम के अधीन स्कीम के मार्गदर्शन सिद्धांतों और अनुमोदित मापदंडों के अनुसार व्यक्तियों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों में आयुष संबंधी वैज्ञानिक अनुसंधान पत्र प्रस्तुत करने के लिए उनके हवाई यात्रा, आवास, शिष्टमंडल रजिस्ट्रीकरण फीस और अन्य व्यय (जिन्हें इसमें इसके पश्चात प्रसुविधा कहा गया है) पर उपगत व्ययों की प्रतिपूर्ति उपगत व्यय अंतर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है जो भारत की संचित निधि से खर्च होता है;

अत: अब केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने के लिए पार्टी व्यक्ति से उसके पास आधार संख्यांक होने का प्रमाण प्रस्तुत करने या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा होगी।

   (2) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या आधार के लिए अभी नामांकित नहीं हुआ है, स्कीम के अधीन चयन होने के 30 दिन के भीतर आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन हेतु आधार नामांकन केंद्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in) पर जा सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार मंत्रालय से अपेक्षित है कि वह ऐसे फायादाग्राही के लिए जिन्होंने अभी आधार हेतु नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करवाएं और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं हो तो मंत्रालय यूआईएडीआई के वर्तमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से सुगम स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा।

परंतु जब तक उस व्यक्ति को आधार नहीं सौंप दिया जाता, तब तक स्कीम के अधीन ऐसे व्यक्तियों को प्रसुविधायें निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए दी जाएंगी, अर्थात :-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची ; या

(ii) उसके द्वारा आधार नामांकन हेतु किए गए अनुरोध की एक प्रति जैसाकि पैरा 2 के उप पैरा (2) में विनिर्दिष्ट किया गया है; और

(ख) (i) मतदाता पहचान कार्ड; या

(ii) स्थाई लेखा संख्यांक (पीएएन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट, या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) कर्मचारी का सरकारी पहचान पत्र; या

(vi) फोटो लगी बैंक या डाकखाने की पास बुक; या

(vii) ईसीएचएस कार्ड; या ईएसआईसी कार्ड; या सीजीएचएस कार्ड; या

(viii) मोटर यान अधिनियम, 1998 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा चालन अनुज्ञप्ति; या

(ix) सरकारी पत्र शीर्ष पर किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा किसी तहसीलदार द्वारा जारी किया गया ऐसा पहचान पत्र जिस पर उस व्यक्ति का फोटो लगा हो; या

(x) मंत्रालय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अन्य कोई दस्तावेज;

परंतु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच मंत्रालय द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी:

परंतु यह और कि जब किसी फायदाग्राही को स्कीम के अधीन संकटकालीन उपाय के रूप में प्रसुविधाओं का उपभोग करने की आवश्यकता होती है तो उसे ऐसी प्रसुविधाओं के लिए इंकार नहीं किया जाएगा परंतु उसे तीस दिन के अपश्चात् पैरा 1 के उप पैरा (3) में यथा उल्लिखित सभी अपेक्षाओं का पालन करना होगा।

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राही को सुविधाजनक और निर्बाध प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए मंत्रालय निम्नलिखित उपायों सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं प्रदान करेगा, अर्थात्

(1) स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षाओं के प्रति फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए मीडिया और व्यक्तिगत सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि उन्होंने पहले से ही नामांकन नहीं करवाया है तो उन्हें सलाह दी जा सकेगी कि वे अपने क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केंद्र पर अपना नामांकन करा लें। उन्हें स्थानीय उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) यदि आस-पास के क्षेत्रों जैसे ब्लॉक या तालुका या तहसील में नामांकन केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण फायदाग्राही नामांकन कराने में समर्थ नहीं होते हैं तो मंत्रालय यूआईडीएआई के वर्तमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से सुगम स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा और इस स्कीम के अधीन फायदाग्रहियों से मंत्रालय के अभिहित पदधारियों को या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेबपोर्टल के माध्यम से अपने नाम, पता, मोबाइल नं. और पैरा 1 के उप पैरा (3) के प्रथम परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अन्य विवरण देते हुए आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्ट्रीकृत कराने का अनुरोध किया जा सकेगा।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा.सं. एल.21021/15/2017-आईसी]

प्रमोद कुमार पाठक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AYUSH

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2017

S.O. 1980 (E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of AYUSH (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is implementing the Scheme for Promotion of International Co-operation in AYUSH (hereinafter referred to as the Scheme) as a Central Sector Scheme;

And whereas, the main objective of the Scheme is to promote and strengthen awareness and interest about AYUSH namely Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy widely known as the Indian Systems of Medicine and Homoeopathy;

And whereas, under the Scheme financial assistance is provided to the individuals(hereinafter referred to as the beneficiaries) forpresentation of AYUSH related scientific research papers in international conferences, workshops and seminars by reimbursing the expenditures incurred on their air-travel, accommodation, delegation registration feesand other expenses (hereinafter referred to as the benefits) as per the Scheme guidelines and approved norms, that involvesrecurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual eligible for availing thebenefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual entitled to receive the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrollment within thirty days of selection under the Scheme, provided she or he is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) for Adhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministryis required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:–

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and

(b) (i) Voter Identity Card; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Employee Government ID Card; or

(vi) Bank Passbook orPost office Passbook with Photo; or

(vii) ECHS Card; or ESIC Card; or CGHS Card; or

(viii) Driving license issued by the LicensingAuthority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) Any other document as specified by the Ministry:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose:

Provided further that when a beneficiary needs to avail benefits under the Scheme as an emergency measure, he or she shall not be denied such benefits subject to his or her subsequently complying to the requirement as mentioned in sub paragraph (3) of paragraph 1, not later than thirty days.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the Scheme to the beneficiaries, the Ministry shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(1) Wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministryshall provide Aadhaar enrollment facilities at convenient locations, in coordination with existing Registrars or UIDAI and the beneficiaries under the Scheme may registrar their requests for Aadhaar enrollment by giving their names, address, mobile number and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the designated officials of the Ministry or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and the State Jammu and Kashmir.

[F. No. L. 21021/15/2017-IC]

PRAMOD KUMAR PATHAK, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.06.24 11:09:27 +05'30'